AUDIT REPORT
FOR THE YEAR

2024-25

(HINDI VERSION)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (Central) KOLKATA-700001

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

वित्तीय वर्ष समाप्ति: 31 मार्च 2025

राय (Opinion)-

हमने राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति विवरण, उस वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है, सम्मिलित हैं। यह परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) को राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 34(1) के साथ समेकित रूप से ध्यान में रखकर उसके अंतर्गत किया गया है।

यह लेखा परीक्षण रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा केवल लेखांकन व्यवहार के संबंध में, जैसे वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं की अनुरूपता, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदंडों आदि पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करती है। विधि, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन (शुचिता एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता एवं प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर यदि कोई टिप्पणियाँ हों, तो उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी की पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों, संबंधित टिप्पणियों तथा इसके पश्चात प्रस्तुत पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य विषयों

के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च 2025 को स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति तथा उस वर्ष की वित्तीय कार्यप्रणाली और नकदी प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये विवरण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में एमएचआरडी) द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित संशोधित लेखा प्रारूप तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

राय का आधार (Basis for Opinion)-

हमने अपना लेखा परीक्षण सीएजी के लेखा परीक्षण विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार किया है। हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत वर्णन इस रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ" खंड में किया गया है। हम वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार इस स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर की कार्यकारी परिषद वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। ये विवरण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में एमएचआरडी) द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित संशोधित लेखा प्रारूप तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए जाने चाहिए। साथ ही, प्रबंधन उन आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं के लिए भी जिम्मेदार है, जिन्हें वह आवश्यक समझता है, ताकि

वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त तैयार किए जा सकें।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि संपूर्ण वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण। साथ ही, हमारा दायित्व है कि हम सीएजी के लेखा परीक्षण विनियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुरूप अपनी राय सहित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जारी करें।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से एवं उनकी ओर से

(उदय शंकर प्रसाद)
महानिदेशक (लेखा परीक्षण)
कोलकाता केंद्र

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19-01-2026

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के खातों पर पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष समाप्ति: 31 मार्च 2025

क. सामान्य (General)

1.1 अनुदान सहायता के लेखांकन के संबंध में, स्वीकृत प्रारूप से निम्नलिखित विचलन पाए गए:

(क) विश्वविद्यालय ने ₹150.04 करोड़ (वेतन, आवर्ती, पूंजीगत एवं विशिष्ट/अन्य अनुदान) की राशि, जो वर्ष के दौरान प्राप्त हुई तथा प्रारंभिक शेष राशि सहित थी, को अनुसूची 10 के अंतर्गत आय एवं व्यय खाते में दर्शाया है। जबकि निर्धारित लेखा प्रारूप के अनुसार केवल वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक राजस्व व्यय को ही राजस्व आय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था।

(ख) विश्वविद्यालय ने ₹28.84 करोड़ (₹35.37 करोड़ - ₹6.53 करोड़) को 'अनुदान/सब्सिडी' (अनुसूची 10) के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया है। उक्त राशि को 'स्थायी परिसंपत्तियों' (अनुसूची 4) में भी शामिल किया गया है, परंतु निर्धारित लेखा प्रारूप के अनुसार इसे 'कोष/पूंजी निधि' (अनुसूची 1) में नहीं जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय ने इस राशि को बैलेंस शीट के माध्यम से दर्शाने के बजाय गलत तरीके से आय एवं व्यय खाते के माध्यम से दर्शाया है। इसका समायोजन/सामंजस्य किया जाना आवश्यक है।

(ग) विश्वविद्यालय ने निर्धारित लेखा प्रारूप के विपरीत अनुपयोगित अनुदानों के लिए अनुसूची 3(ग) तैयार नहीं की है।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा पूंजी, वेतन एवं सामान्य अनुदानों के अंतर्गत दर्ज की गई प्रारंभिक तथा समापन शेष राशि, अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र (वित्तीय वर्ष

2023-24) अथवा अस्थायी उपयोग प्रमाणपत्र (वित्तीय वर्ष 2024-25) से मेल नहीं खाती, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

मद	**खातों में दर्ज प्रारंभिक शेष (अनुसूची 10)**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र (UC) में दर्शाई गई राशि**	**खातों में दर्ज समापन शेष राशि (अनुसूची 10)**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 के अस्थायी उपयोग प्रमाणपत्र (UC) में दर्शाई गई राशि**
पूंजी अनुदान	₹20.42 करोड़	शून्य	₹17.84 करोड़	शून्य
वेतन अनुदान	₹0.29 करोड़	₹0.12 करोड़	(-) ₹4.95 करोड़	(-) ₹10.83 लाख
आवर्ती अनुदान	(-) ₹0.36 करोड़	₹1.01 करोड़	(-) ₹1.04 करोड़	₹0.01 करोड़

उपरोक्त का सामंजस्य किया जाना आवश्यक है।

(ङ) विश्वविद्यालय ने ₹77.73 करोड़ की पूंजीगत व्यय राशि आवर्ती अनुदानों से व्यय की, जो अनुदान स्वीकृति पत्र के प्रावधानों के विपरीत है।

1.2 विश्वविद्यालय ने 'निर्धारित/आरक्षित/एंडोमेंट निधि' (अनुसूची 2) के अंतर्गत ₹110.60 करोड़ की समापन शेष राशि को निर्धारित लेखा प्रारूप के विपरीत नकद एवं बैंक शेष राशि के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया है। विश्वविद्यालय ने

अनुसूची 5 में आरक्षित/एंडोमेंट निधियों से किए गए निवेश भी प्रदर्शित नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय तीन आरक्षित निधियों – (i) वाहन अग्रिम, (ii) कंप्यूटर अग्रिम एवं (iii) गृह निर्माण अग्रिम – का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल समापन शेष राशि ₹22.53 लाख है, जो वर्ष 2020-21 से समायोजित नहीं की गई है। इसकी समीक्षा की जानी आवश्यक है।

1.3 विश्वविद्यालय ने 'वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान' के अंतर्गत 'वैधानिक देयताएँ' शीर्ष में ₹0.11 लाख की ऋणात्मक (नकारात्मक) शेष राशि दर्शाई है। इसकी समीक्षा आवश्यक है।

1.4 विश्वविद्यालय ने निर्धारित लेखा प्रारूप के विपरीत विस्तृत अनुसूचियाँ तैयार नहीं कीं, जैसे –

- अनुसूची 3(क) : प्रायोजित परियोजनाएँ
- अनुसूची 3(ख) : प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियाँ
- अनुसूची 3(ग) : अनुपयोगित अनुदान

1.5 विश्वविद्यालय ने निर्धारित लेखा प्रारूप के विपरीत ₹77.57 लाख की राशि 'छात्रों से जमा' के रूप में 'वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान' के अंतर्गत दर्शाई, जबकि इसे वर्तमान छात्रों एवं पूर्व छात्रों के बीच पृथक किया जाना चाहिए था।

1.6 विश्वविद्यालय ने निर्धारित लेखा प्रारूप के विपरीत प्रायोजित परियोजनाओं की प्राप्ति एवं उपयोग को अनुसूची 10 के अंतर्गत दर्ज किया, जबकि इन्हें पृथक रूप से अनुसूची 3(क) में दर्ज कर 'वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान' (अनुसूची 3) में सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

1.7 फरवरी 2020 में विश्वविद्यालय को HEFA ऋण के रूप में ₹66.59 करोड़ स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से फरवरी 2025 तक ₹65.19 करोड़ आहरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विश्वविद्यालय ने ₹13.31 करोड़

मूलधन की अदायगी तथा ₹2.58 करोड़ ब्याज भुगतान किया। तथापि, पिछले वर्ष की लेखा परीक्षण रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद, इन सभी राशियों को विश्वविद्यालय की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

1.8 'कर्मचारी भुगतान एवं लाभ' (अनुसूची 15) में ₹2.05 करोड़ की अधिक दर्शाई गई राशि पाई गई। यह ग्रेच्युटी (₹0.86 करोड़) तथा अवकाश नकदीकरण (₹1.19 करोड़) के अंतर्गत 'सेवानिवृत्ति एवं अंतिम लाभ' तथा 'अवकाश नकदीकरण' शीर्षों में वास्तविक भुगतान को अधिक दर्ज करने के कारण हुआ है। निर्धारित लेखा प्रारूप के अनुसार केवल चालू वर्ष में किए जाने वाले प्रावधान ₹6.98 करोड़ को ही दर्ज किया जाना चाहिए था।

ख- प्रबंधन पत्र (Management Letter)

इस पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित न की गई कमियों की सूचना प्रबंधन को सुधारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से दी गई है।

ग- **आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन**

3.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विश्वविद्यालय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित क्षेत्रों में अपर्याप्त पाई गई:

a) लेखा शीर्षों का कोड निर्धारण नहीं किया गया है।

b) नकद एवं भंडार जैसी मूल्यवान वस्तुओं का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों से सुरक्षा जमा गारंटी प्राप्त नहीं की गई है।

c) सभी भुगतान चेक के माध्यम से नहीं किए जाते हैं।

d) चेक प्रोटेक्टर का उपयोग नहीं किया जाता है।

e) रद्द किए गए चेकों को नष्ट (म्यूटिलेट) नहीं किया जाता है।

f) खरीदारी क्रय विभाग के माध्यम से केंद्रीकृत नहीं की जाती है।

3.2 आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता

विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली अपर्याप्त है, क्योंकि विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षण शाखा स्थापित नहीं है।

3.3 स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विश्वविद्यालय ने स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया।

3.4 भंडार के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विश्वविद्यालय ने भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया।

3.5 वैधानिक देयों के भुगतान की नियमितता

अभिलेखों के अनुसार, वैधानिक देयों के भुगतान में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

घ- अनुदान सहायता (Grants in Aid)

विश्वविद्यालय मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत में विश्वविद्यालय के पास ₹27.24 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि थी (वेतन अनुदान

₹0.29 करोड़, आवर्ती अनुदान (-)₹0.36 करोड़, पूंजी अनुदान ₹20.42 करोड़ तथा विशिष्ट/अन्य अनुदान ₹6.89 करोड़)। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विश्वविद्यालय को ₹150.04 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ (वेतन अनुदान ₹78.00 करोड़, आवर्ती अनुदान ₹39.50 करोड़, पूंजी अनुदान ₹24.00 करोड़ तथा विशिष्ट/अन्य अनुदान ₹0.41 करोड़ – भारत सरकार, खेल मंत्रालय से – और ₹8.13 करोड़ प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत)। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विश्वविद्यालय के पास कुल उपलब्ध अनुदान ₹177.28 करोड़ (₹27.24 करोड़ + ₹150.04 करोड़) था। इसमें से विश्वविद्यालय ने ₹157.82 करोड़ का उपयोग किया (₹35.37 करोड़ पूंजीगत व्यय हेतु तथा ₹122.45 करोड़ राजस्व व्यय हेतु) और ₹0.27 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वापस ले लिया गया। अतः 31 मार्च 2025 तक, उपर्युक्त अनुदान संबंधी टिप्पणियों के अधीन, ₹19.19 करोड़ की अप्रयुक्त शेष राशि शेष रही।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19-01-2026

महानिदेशक (लेखा परीक्षण)
कोलकाता केंद्र